

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श0)

(सं0 पटना 909) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

अधिसूचना संख्या 04 / 2020 - राज्य कर (दर)

एस॰ओ॰ 183 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

(सं०सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—9) 05)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 183, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—9) 05)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 25th November 2020 **Notification No. 04/2020- State Tax (Rate)**

S.O. 183, Dated 25th November 2020—In exercise of the powers conferred by subsection (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be substituted;
- (ii) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9) 05)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 909-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in